

वनप्रोटेक्ट

ग्राहक सूचना पत्रक

यह दस्तावेज़ आपकी पॉलिसी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी पॉलिसी दस्तावेज़ और पॉलिसी अनुसूची को ध्यान से पढ़ें।

क्रमांक	शीर्षक	विवरण	पॉलिसी खंड संख्या
1	बीमा उत्पाद का नाम	वनप्रोटेक्ट	
2	पॉलिसी संख्या	xxxxxxxx	
3	बीमा उत्पाद का प्रकार	क्षतिपूर्ति और लाभ दोनों	
4	बीमा राशि (आधार) (राशि सहित)	व्यक्तिगत बीमित राशि स्वयं - xxxx पति/पत्नी - xxxx बच्चा 1 - xxxx बच्चा 2 - xxxx बच्चा 3 - xxxx माता-पिता 1 / सास-ससुर 1 - xxxx माता-पिता 2 / सास-ससुर 2 - xxxx भाई - xxxx बहन - xxxx	
5	पॉलिसी कवरेज (पॉलिसी क्या कवर करती है?) (पॉलिसी खंड संख्या/संख्याएँ)	इस संबंध में व्यय दुर्घटनावश मृत्यु - बीमा राशि का 100% ए. मृत्यु - दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु को कवर करता है यदि दुर्घटना मृत्यु का एकमात्र और प्रत्यक्ष कारण है और दुर्घटना की तारीख से 365 दिनों के भीतर हुई हो। बी. गुमशुदगी - यदि यात्री के रूप में वाहन के जबरन उतरने, फँसने, डूबने, या क्षतिग्रस्त होने या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के बाद 365 दिनों के भीतर शव का पता नहीं लगाया जा सकता है, तो गुमशुदगी को कवर करता है। दुर्घटनाजन्य मृत्यु (सामान्य वाहक) - बीमित राशि का 200% या 10 करोड़ रुपये, जो भी कम हो पॉलिसी अवधि के दौरान होने वाली दुर्घटना और ऐसी चोट के कारण दुर्घटना की तारीख से 365 दिनों के भीतर बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जहाँ ऐसी मृत्यु तब होती है जब बीमित व्यक्ति किसी सामान्य वाहक पर किराया देने वाला यात्री होता है। स्थायी पूर्ण विकलांगता - बीमित राशि का 100% पूर्ण विकलांगता को कवर करता है, जो दुर्घटना के कारण स्थायी प्रकृति की होती है, यदि दुर्घटना ऐसी विकलांगता का एकमात्र और प्रत्यक्ष कारण है और दुर्घटना की तारीख से 365 दिनों के भीतर होती है।	खंड 2. लाभ

मैग्मा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड (तत्कालीन मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) | www.magmaininsurance.com | ईमेल: customercare@magmaininsurance.com | टोल फ्री नं.: 1800 266 3202 | पंजीकृत कार्यालय: इक्विनॉक्स बिज़नेस पार्क, टॉवर 3, आंबेडकर नगर, दूसरी मंज़िल, यूनिट नंबर 1बी और 2बी, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - 400 070, महाराष्ट्र, भारत | CIN: U66000MH2009PLC460693 | IRDAI Reg. No. 149 | वनप्रोटेक्ट | प्रोडक्ट UIN: MAGPAIP25036V012425 | ऊपर प्रदर्शित किए गए ट्रेड लोगो मैग्मा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और मैग्मा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड द्वारा इनका इस्तेमाल लाइसेंस के अंतर्गत किया गया है। हमारी वेबसाइट पर MIRA से चैट करें या वॉट्सएप नंबर 7208976789 पर "Hi" कहें। (CIS.OP.ver28.11.25)

क्रमांक	शीर्षक	विवरण	पॉलिसी खंड संख्या
		स्थायी आंशिक विकलांगता – पॉलिसी दस्तावेज़ में निर्दिष्ट तालिका के अनुसार बीमित राशि का %। आंशिक विकलांगता को कवर करता है, जो दुर्घटना के कारण स्थायी प्रकृति की होती है, यदि दुर्घटना ऐसी विकलांगता का एकमात्र और प्रत्यक्ष कारण है और दुर्घटना की तारीख से 180 दिनों के भीतर होती है। एम्बुलेंस खर्च – ₹25,000 तक या वास्तविक राशि, जो भी कम हो। दुर्घटना की स्थिति में बीमित व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा के उपयोग को कवर करता है। दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने का खर्च – बीमित राशि का 20% या ₹5 लाख या वास्तविक राशि, जो भी कम हो। पॉलिसी अनुसूची में निर्दिष्ट अस्पताल में भर्ती होने की सीमा तक, एक आंतरिक रोगी के रूप में 24 घंटे आकस्मिक अस्पताल में भर्ती होने को कवर करता है। अंतिम संस्कार लाभ और अवशेषों का प्रत्यावर्तन – बीमित राशि का 1%, अधिकतम ₹50,000 तक। अंतिम संस्कार और दुर्घटना स्थल से निवास स्थान तक पार्थिव शरीर के परिवहन से संबंधित खर्चों को कवर करता है। अस्पताल दैनिक नकद – बीमित राशि का 0.5% या अधिकतम ₹10,000 प्रतिदिन, जो भी कम हो, अधिकतम 30 दिनों तक। दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि के लिए अधिकतम 30 दिनों तक प्रतिदिन लाभ प्रदान करता है। बैसाखी/व्हीलचेयर की लागत – बीमित राशि का 5% या वास्तविक लागत, अधिकतम ₹1 लाख तक। दुर्घटनाजन्य अंग-भंग, स्थायी पूर्ण विकलांगता या स्थायी आंशिक विकलांगता के कारण आवश्यक बैसाखी/व्हीलचेयर की लागत को कवर करता है। कृत्रिम अंगों की लागत – बीमित राशि का 10% या वास्तविक लागत, अधिकतम ₹1 लाख तक। विकलांगता के कारण आवश्यक कृत्रिम अंगों की लागत को कवर करता है। वैकल्पिक कवर कोमा लाभ – बीमित राशि का 10%, अधिकतम 5 लाख रुपये, जो भी कम हो। यदि दुर्घटना मृत्यु का एकमात्र और प्रत्यक्ष कारण है और दुर्घटना की तारीख से 30 दिनों के भीतर हुई है, तो दुर्घटना के कारण कोमा में जाने पर भी कवर करता है। जलना – पॉलिसी दस्तावेज़ में निर्दिष्ट %, अधिकतम 10 लाख रुपये तक। दुर्घटना के कारण जलने से होने वाली शारीरिक चोट को कवर करता है, बशर्ते आपको लगी चोट से चोटों की अनुसूची में दर्शाए गए नुकसानों में से एक हो। हड्डियाँ टूटना – पॉलिसी दस्तावेज़ में निर्दिष्ट %, अधिकतम 10 लाख रुपये तक। दुर्घटना के कारण टूटी हुई हड्डियों की शारीरिक चोट को कवर करता है, बशर्ते आपको लगी चोट से चोटों की अनुसूची में दर्शाए गए नुकसानों में से एक हो।	

क्रमांक	शीर्षक	विवरण	पॉलिसी खंड संख्या
		अस्थायी पूर्ण विकलांगता – बीमित राशि का 1% या 50,000 रुपये प्रति सप्ताह या वास्तविक राशि, जो भी 104 सप्ताह तक कम हो। दुर्घटना के कारण हुई विकलांगता के कारण वेतन की हानि की भरपाई के लिए बीमित व्यक्ति को साप्ताहिक भत्ता दिया जाएगा। दुर्घटनावश अस्पताल में भर्ती होने का खर्च (मेडेक्स - ग्लोबल) – बीमित राशि का 30% या 10 लाख रुपये या वास्तविक राशि, जो भी कम हो। इस विकल्प का लाभ उठाने पर, हम दुनिया में कहीं भी हुए दुर्घटना अस्पताल में भर्ती होने के खर्च (मेडेक्स) खंड के अंतर्गत चिकित्सा व्यय का भुगतान करेंगे। दुर्घटना बीमा नवीनीकरण प्रीमियम – बीमित राशि 5 लाख रुपये के लिए। यदि बीमित पॉलिसी धारक का दावा दुर्घटना मृत्यु कवर के अंतर्गत स्वीकार्य हो जाता है, तो हम पॉलिसी अनुसूची में उल्लिखित उसी पॉलिसी में शामिल अन्य सभी बीमित व्यक्तियों के लिए कवरेज के नवीनीकरण प्रीमियम के बराबर राशि का भुगतान करेंगे। ड्राइवर लाभ – बीमित राशि का 1% या 5,000 रुपये प्रतिदिन, जो भी 10 दिनों तक कम हो। यदि बीमित व्यक्ति पॉलिसी अवधि के दौरान चोटिल हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप अस्थायी रूप से पूर्ण विकलांगता हो जाती है, तो हम बीमित व्यक्ति को परिवहन के दैनिक किराए की लागत या बीमित व्यक्ति की गतिशीलता बनाए रखने के लिए ड्राइवर रखने हेतु क्षतिपूर्ति करेंगे। माता-पिता की देखभाल लाभ – बीमित राशि का 10% या अधिकतम 2 अभिभावकों के लिए प्रति पॉलिसी अधिकतम 10 लाख रुपये, जो भी कम हो। यदि एडी के तहत दावा स्वीकार किया जाता है, तो हम आश्रित माता-पिता के लिए एकमुश्त लाभ का भुगतान करेंगे। रक्त की खरीद – वास्तविक या अधिकतम 5,000 रुपये जो भी कम हो। यदि हमने एडी, पीटीडी, पीपीडी या टीटीडी के तहत वैध दावा स्वीकार किया है, तो हम दुर्घटना के बाद बीमित व्यक्ति के आवश्यक चिकित्सा या शल्य चिकित्सा उपचार के लिए अस्पताल या वैध रक्त बैंक के माध्यम से रक्त खरीदने में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति करेंगे। पारिवारिक परिवहन – वास्तविक या अधिकतम 50,000 रुपये, जो भी कम हो। यदि एडी या पीटीडी के तहत दावा स्वीकार किया जाता है, तो हम परिवार के एक निकटतम सदस्य को अस्पताल ले जाने में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति करेंगे। निवास/वाहन में आशोधन – वास्तविक या अधिकतम 2.5 लाख रुपये, जो भी कम हो। यदि हमने पीटीडी के अंतर्गत कोई दावा स्वीकार किया है, तो बीमित व्यक्ति के आवास या बीमित व्यक्ति के वाहन में बदलाव के लिए किए गए उचित खर्चों को कवर किया जाएगा। साहसिक खेल – 100% बीमित राशि। पॉलिसी अवधि के दौरान हुई आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में, जबकि बीमित व्यक्ति गैर-पेशेवर हैसियत से और किसी प्रशिक्षित पेशेवर की देखरेख में साहसिक खेलों में संलग्न है, पॉलिसी अनुसूची में परिभाषित बीमित राशि तक लाभ।	

क्रमांक	शीर्षक	विवरण	पॉलिसी खंड संख्या
		साहसिक खेल – 100% बीमित राशि। पॉलिसी अवधि के दौरान हुई आकस्मिक मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में, जबकि बीमित व्यक्ति गैर-पेशेवर हैसियत से और किसी प्रशिक्षित पेशेवर की देखरेख में साहसिक खेलों में संलग्न है, पॉलिसी अनुसूची में परिभाषित बीमित राशि तक लाभ। आपातकालीन एयर एम्बुलेंस शुल्क – वास्तविक या अधिकतम 5 लाख रुपये, जो भी कम हो। दुर्घटना के कारण आपात स्थिति में इलाज के लिए बीमित व्यक्ति को हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाने पर होने वाला खर्च आयातित दवाओं का परिवहन – वास्तविक या अधिकतम ₹20,000, जो भी कम हो। यदि हमने एडी, पीटीडी, पीपीडी या टीटीडी के अंतर्गत कोई वैध दावा स्वीकार किया है, तो हम भारत में दवाओं के आयात के लिए माल ढुलाई शुल्क पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति करेंगे, बशर्ते कि ऐसी दवाएं भारत में उपलब्ध न हों और चिकित्सकीय रूप से आवश्यक हों। बच्चों के लिए विवाह निधि – बीमित राशि का 10%, प्रति पॉलिसी अधिकतम ₹10 लाख, जो भी कम हो। यदि हमने आकस्मिक मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता (पीटीडी) के अंतर्गत कोई दावा स्वीकार किया है, तो हम अविवाहित आश्रित बच्चों के विवाह व्यय के लिए बीमित राशि का अतिरिक्त भुगतान करेंगे। स्वास्थ्य लाभ – यदि आकस्मिक चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती होने की अवधि 30 दिनों से अधिक हो, तो ₹50,000 का एकमुश्त भुगतान; 45 दिनों के लिए 1 लाख रुपये और 60 दिनों के लिए 2 लाख रुपये। लगातार दिनों या उससे अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने की स्थिति में, पॉलिसी अवधि के दौरान प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के लिए एकमुश्त लाभ प्रदान किया जाता है। आय की हानि – बीमित राशि का 0.5% या 20,000 रुपये या प्रति सप्ताह वास्तविक राशि, जो भी कम हो, अधिकतम 52 सप्ताह तक। यदि बीमित व्यक्ति को पॉलिसी अवधि के दौरान हुई किसी दुर्घटना के कारण पूरी तरह से और सीधे तौर पर चोट लगती है, जिससे बीमित व्यक्ति अस्थायी रूप से किसी भी रोजगार या व्यवसाय में संलग्न होने में असमर्थ हो जाता है और इस प्रकार उसकी आय का नुकसान होता है, तो हम अस्थायी पूर्ण विकलांगता की अवधि के लिए अनुसूची में निर्दिष्ट साप्ताहिक राशि का भुगतान करेंगे। ऋण सुरक्षा – बकाया ऋणों के लिए बीमित राशि का 25% तक। पॉलिसी दस्तावेज़ में निर्दिष्ट सीमा तक आकस्मिक मृत्यु लाभ या स्थायी पूर्ण विकलांगता के मामले में बकाया ऋण राशि को कवर करता है। विधवा कवर – बीमित राशि का 10%, प्रति पॉलिसी अधिकतम 10 लाख रुपये तक, जो भी कम हो। यदि किसी बीमित व्यक्ति के जीवनसाथी की पॉलिसी अवधि के दौरान कोई दुर्घटना होती है और यह 365 दिनों के भीतर जीवनसाथी की मृत्यु का एकमात्र और प्रत्यक्ष कारण है, तो हम पॉलिसी अनुसूची में उल्लिखित बीमित राशि का भुगतान करेंगे।	

क्रमांक	शीर्षक	विवरण	पॉलिसी खंड संख्या
		बाल शिक्षा लाभ – अधिकतम 2 बच्चों के लिए लगातार 4 वर्षों तक प्रति पॉलिसी वर्ष बीमित राशि का 10% या वास्तविक अधिकतम 10 लाख रुपये। दुर्घटना के कारण प्राथमिक बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर बच्चों की ट्यूशन/शिक्षा पर होने वाले खर्चों को कवर करता है। बढ़ी हुई अस्थायी पूर्ण विकलांगता – बीमित राशि का 1% या प्रति सप्ताह 1,00,000 रुपये या वास्तविक राशि, जो भी 104 सप्ताह तक कम हो। दुर्घटना के कारण हुई विकलांगता के कारण वेतन की हानि की भरपाई के लिए बीमित व्यक्ति को साप्ताहिक भत्ता दिया जाएगा। बढ़ी हुई आय हानि – बीमित राशि का 0.5% या प्रति सप्ताह 50,000 रुपये या वास्तविक राशि, जो भी 52 सप्ताह तक अधिकतम कम हो। यदि बीमित व्यक्ति को पॉलिसी अवधि के दौरान हुई किसी दुर्घटना के कारण प्रत्यक्ष रूप से चोट लगती है, जिसके कारण वह अस्थायी रूप से किसी भी रोजगार या व्यवसाय में संलग्न होने में असमर्थ हो जाता है और परिणामस्वरूप उसकी आय में कमी आती है, तो हम अस्थायी पूर्ण विकलांगता की अवधि के लिए अनुसूची में निर्दिष्ट साप्ताहिक राशि का भुगतान करेंगे।	
6	बहिष्करण (पॉलिसी इन्हें कवर नहीं करती है)	मानक बहिष्करण • शराब के दुरुपयोग या दुरुपयोग सहित किसी भी प्रकार के मादक द्रव्यों के सेवन या दुरुपयोग के परिणामस्वरूप होने वाली व्यसनकारी स्थितियों और विकारों से संबंधित चोट या उपचार। • साहसिक खेलों में भागीदारी। • बीमित व्यक्ति द्वारा आपराधिक इरादे से कानून का उल्लंघन करना या किसी दंगे, नागरिक उपद्रव या गंभीर अपराध में भाग लेना। • जानबूझकर खुद को चोट पहुँचाना, आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास, पागलपन या तनाव। • जन्मजात विसंगति, चाहे आंतरिक जन्मजात • विकृति हो या बाह्य जन्मजात विसंगति, जन्मजात आंतरिक या बाह्य रोग, दोष या उनके परिणामस्वरूप। • जीवाणु संक्रमण (पायोजनिक संक्रमण को छोड़कर जो दुर्घटना के कारण कटने या घाव से होता है)। • किसी भी बीमारी या संक्रमण के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति, जब तक कि वह सीधे और पूरी तरह से दुर्घटना के कारण उत्पन्न न हो। • पॉलिसी शुरू होने के बाद पेशे में कोई भी बदलाव जिसके परिणामस्वरूप जोखिम बढ़ जाता है, जब तक कि बीमित व्यक्ति द्वारा घोषित न किया गया हो और हमारे द्वारा स्वीकार और समर्थित न किया गया हो। • आरंभ तिथि के बाद व्यवसाय में कोई भी परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप पॉलिसी के अंतर्गत हमारा जोखिम बढ़ जाता है, यदि पॉलिसी अनुसूची में हमारे द्वारा स्वीकार और समर्थित नहीं किया जाता है।	खंड 3

क्रमांक	शीर्षक	विवरण	पॉलिसी खंड संख्या
		- चिकित्सा या शल्य चिकित्सा प्रक्रिया, सिवाय इसके कि जब आवश्यक हो, केवल और प्रत्यक्ष रूप से किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप - कोई भी यौन संचारित रोग - गर्भावस्था या प्रसव से संबंधित या उससे संबंधित - दुनिया की किसी भी अनुसूचित एयरलाइन में यात्री (किराया देकर या अन्यथा) के रूप में या किसी भी निजी स्वामित्व वाले, चार्टर्ड या अनुसूचित एयरलाइन द्वारा संचालित विमान में सवार होने, उतरने या यात्रा करते समय - किसी भी विमान का संचालन करने या उसे चलाना सीखने वाला बीमित व्यक्ति या किसी भी विमान या अनुसूचित एयरलाइन या किसी भी एयरलाइन कर्मी के चालक दल के सदस्य के रूप में कर्तव्यों का पालन करना - युद्ध या युद्ध जैसे अभियान, गृहयुद्ध, आक्रमण, विदेशी शत्रुओं का कार्य, क्रांति, विद्रोह, विद्रोह, आतंकवाद, सैन्य या हड़पी हुई शक्ति, किसी सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा या उसके आदेश के तहत ज़ब्त, पकड़ना, गिरफ्तारी, रोक लिया जाना, या नज़रबंदी, ज़ब्त, या राष्ट्रीयकरण या अधिग्रहण। - परमाणु, रासायनिक, जैविक आतंकवाद का कोई भी कार्य, चाहे किसी भी अन्य कारण या घटना के सहवर्ती या किसी अन्य क्रम में नुकसान हुआ हो। - रेडियोधर्मी, रासायनिक, परमाणु संदूषण, या आयनीकरण विकिरण - किसी भी बीमित व्यक्ति की नौसेना, वायु सेना या सैन्य अभियानों या किसी अर्धसैनिक बल की किसी भी शाखा में भागीदारी या संलिप्तता। - किसी एक पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी के तहत एक से अधिक दावों के मामले में कोई भी भुगतान जिससे उस अवधि में हमारी अधिकतम देयता बीमित राशि से अधिक हो जाएगी। यह वैकल्पिक कवर के तहत किए गए भुगतानों पर लागू नहीं होगा। - किसी ऐसे चिकित्सा व्यवसायी द्वारा प्रमाणन जो बीमित व्यक्ति के साथ एक ही निवास साझा करता हो या जो बीमित व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो। - कोई भी व्यय (इसमें उल्लिखित के अलावा) जो अनुलग्नक में दिए गए गैर-चिकित्सा व्ययों की सूची में निर्दिष्ट है - बीमित व्यक्ति द्वारा बताई गई मौजूदा बीमारियाँ, बशर्ते कि वे अंडरराइटिंग के समय लागू हों और आप/बीमित व्यक्ति द्वारा सहमति दी गई हो। नोट: उपरोक्त पॉलिसी बहिष्करणों की एक आंशिक सूची है। कृपया बहिष्करणों की पूरी सूची के लिए पॉलिसी शब्दावली देखें।	
7	प्रतीक्षा अवधि	लागू नहीं	

क्रमांक	शीर्षक	विवरण	पॉलिसी खंड संख्या
8	कवरेज की वित्तीय सीमाएँ	- ऊपर उल्लिखित निर्दिष्ट सीमा तक कवर किए गए आकस्मिक चिकित्सा व्यय की लाभ-वार प्रतिपूर्ति। - ऊपर उल्लिखित निर्दिष्ट सीमा तक एकमुश्त लाभ राशि का लाभ-वार भुगतान या कवर किए गए व्यय का भुगतान।	
9	दावे / दावा प्रक्रिया	दावे की सूचना: यदि कोई चोट लगती है या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिससे इस पॉलिसी के तहत दावा हो सकता है, तो बीमित व्यक्ति या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति हमें तुरंत सूचित करेगा। - दावे की सूचना कॉल सेंटर को 1800 266 3202 पर दी जा सकती है। - अपने दावे की सूचना देते समय पॉलिसी विवरण प्रदान करने का अनुरोध करें। - दावे की सूचना देते समय घटना की तिथि, समय और कारण अवश्य बताएं। - बेहतर नियंत्रण के लिए, जहाँ तक संभव हो, दावों की सूचना हमारे कॉल सेंटर के माध्यम से देने का अनुरोध करें। दावा प्रस्तुत करना: बीमित व्यक्ति को सभी प्रासंगिक दावा दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे, और दावों का निपटारा या अस्वीकृति, जैसा भी हो, सूचना की तिथि से 15 दिनों के भीतर (आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ) कर दी जाएगी। दावे का भुगतान - यदि दावा धोखाधड़ीपूर्ण है या धोखाधड़ी से समर्थित है, तो कोई दायित्व स्वीकार नहीं किया जाएगा। - बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति की ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को, जैसा भी मामला हो, अपने खर्च पर, दावे के संबंध में हमसे पूछी गई सभी जानकारी प्रदान करनी होगी और उसे आवश्यकतानुसार हमें सभी उचित सहयोग और सहायता प्रदान करनी होगी। - यदि आवश्यक हो, तो बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति की ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को, जैसा भी मामला हो, हमारे खर्च पर चिकित्सक से चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए सहमत देनी होगी। - यदि हम अनुरोध करते हैं, तो बीमित व्यक्ति को हमारी पसंद के चिकित्सक द्वारा हमारे खर्च पर जाँच कराने के लिए सहमत होना होगा। - इस पॉलिसी के अंतर्गत सभी दावे भारतीय मुद्रा में देय होंगे। - सभी दावों की सूचना हमें ऊपर दी गई समय-सीमा के भीतर दी जानी है। यदि सूचना में देरी वास्तविक साबित होती है और पॉलिसी अनुसूची में निर्दिष्ट बीमित व्यक्ति या नामिती या दावेदार के नियंत्रण से बाहर के कारणों से होती है, तो हम ऐसी देरी को माफ कर सकते हैं और दावे पर कार्रवाई कर सकते हैं। - भुगतान में देरी होने की स्थिति में, हम उस वित्तीय वर्ष की शुरुआत में प्रचलित बैंक दर से 2% अधिक ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे जिसमें हमारे द्वारा दावे की समीक्षा की जाती है।	खंड 4

क्रमांक	शीर्षक	विवरण	पॉलिसी खंड संख्या
		दावा दस्तावेज़ विभिन्न कवरों के लिए नीचे दिए गए खंडों में निर्दिष्ट दावा दस्तावेज़, पॉलिसी के अंतर्गत दावे को जन्म देने वाली घटना के घटित होने के 30 दिनों के भीतर, आपके/बीमित व्यक्ति के खर्च पर, हमें उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यदि दावे की सूचना देने और/या दावा दस्तावेज़ जमा करने में देरी वास्तविक साबित होती है और दावेदार के नियंत्रण से परे कारणों से होती है, तो हम ऐसी देरी को क्षमा कर सकते हैं और दावे पर कार्रवाई कर सकते हैं। पॉलिसी के शब्दों में उल्लिखित दावा दस्तावेज़ों के लिए कृपया अनुलग्नक देखें। दावा प्रपत्र https://www.magmaininsurance.com/downloads से डाउनलोड किए जा सकते हैं। दावा दस्तावेज़ जमा करने का पता: मैग्मा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड यूनिट संख्या 63, छठी मंज़िल डेर ड्यूश पार्क, नाहुर रेलवे स्टेशन के पास भांडुप, मुंबई 400078 दावा सहायता के लिए हमें 1800 266 3202 पर कॉल करें। दावे का भुगतान यदि दावा धोखाधड़ीपूर्ण है या धोखाधड़ी के माध्यम से समर्थित है, तो पॉलिसी के अंतर्गत कोई देयता स्वीकार नहीं की जाएगी। बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति की ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को, जैसा भी मामला हो, दावे के संबंध में हमसे मांगी गई सभी जानकारी अपने खर्च पर उपलब्ध करानी होगी और आवश्यकतानुसार हमें सभी उचित सहयोग और सहायता प्रदान करनी होगी। यदि आवश्यक हो, तो बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति की ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को, जैसा भी मामला हो, हमारे खर्च पर चिकित्सक से चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त करने की सहमति देनी होगी। यदि हम अनुरोध करते हैं, तो बीमित व्यक्ति को हमारी पसंद के चिकित्सक द्वारा हमारे खर्च पर जाँच कराने के लिए सहमत होना होगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत सभी दावे भारतीय मुद्रा में देय होंगे।	
10	पॉलिसी सर्विसिंग	कंपनी अधिकारी: यदि बीमित व्यक्ति किसी भी तरह से व्यथित है, तो बीमित व्यक्ति हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकता है: 1800 266 3202 पता: कार्य समय के दौरान हमारे किसी भी शाखा कार्यालय या कॉर्पोरेट कार्यालय में। शाखा कार्यालयों की सूची www.magmaininsurance.com पर देखी जा सकती है।	खंड 4
11	शिकायतें	शिकायत निवारण अधिकारी: यदि बीमित व्यक्ति किसी भी तरह से व्यथित है, तो वह हमसे निम्नलिखित पर संपर्क कर सकता है: ईमेल: Gro@magmaininsurance.com हमें कॉल करें: 1800 266 3202	खंड 4

क्रमांक	शीर्षक	विवरण	पॉलिसी खंड संख्या
		आईआरडीएआई शिकायत कॉल सेंटर: टोल फ्री नंबर: 155255 (या) 1800 4254 732 समय: सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक -- (सोमवार से शनिवार) यदि आप समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप सीधे आईआरडीएआई के ऑनलाइन पोर्टल - बीमा भरोसा सिस्टम - https://bimabharosa.irdai.gov.in/ पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लोकपाल: यदि आप अभी भी निर्णय/समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप बीमा लोकपाल के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने की तिथि से 30 दिनों की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने पर। अद्यतन स्थिति के लिए, कृपया www. www.irdai.gov.in या https://www.cioins.co.in वेबसाइट देखें।	
12	याद रखने योग्य बातें	● निःशुल्क अवलोकन: पॉलिसी दस्तावेज़ प्राप्त होने की तिथि से इस पॉलिसी के नियमों और शर्तों की समीक्षा करने के लिए आपके पास 30 दिनों का समय है। ● पॉलिसी नवीनीकरण: बीमित व्यक्ति द्वारा स्थापित धोखाधड़ी, अप्रकटीकरण या गलतबयानी के आधार को छोड़ कर पॉलिसी का नवीनीकरण सामान्यतः किया जा सकेगा। ● स्थानांतरण और पोर्टेबिलिटी: आप अपनी मौजूदा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को किसी अन्य कंपनी या मैग्मा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के मौजूदा उत्पाद से स्थानांतरित या पोर्ट कर सकते हैं। ● बीमित राशि में वृद्धि: आप नवीनीकरण के समय बीमित राशि में वृद्धि का अनुरोध कर सकते हैं। इसकी स्वीकृति अंडरराइटिंग दिशानिर्देशों के अधीन होगी। ● अधिस्थगन अवधि: स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में लगातार साठ महीने (पोर्टेबिलिटी और माइग्रेशन सहित) कवरेज पूरा होने के बाद, बीमाकर्ता द्वारा स्थापित धोखाधड़ी के आधार को छोड़कर, अप्रकटीकरण, गलतबयानी के आधार पर किसी भी पॉलिसी और दावे पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी। लगातार साठ महीने की इस अवधि को अधिस्थगन अवधि कहा जाता है। यह अधिस्थगन पहली पॉलिसी की बीमित राशि पर लागू होगा। जहाँ भी बीमित राशि बढ़ाई जाती है, वहाँ केवल बढ़ी हुई सीमा पर ही बीमित राशि में वृद्धि की तिथि से लगातार साठ महीने पूरे होने पर यह अवधि लागू होगी।	खंड 4

क्रमांक	शीर्षक	विवरण	पॉलिसी खंड संख्या
13	आपका दायित्व	सूचना का प्रकटीकरण पॉलिसीधारक द्वारा किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य का गलत विवरण, गलत विवरण या प्रकटीकरण न करने की स्थिति में पॉलिसी रद्द हो जाएगी और उस पर भुगतान किया गया सभी प्रीमियम कंपनी द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। (स्पष्टीकरण: इस पॉलिसी के प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण तथ्य का अर्थ कंपनी द्वारा प्रस्ताव पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेजों में मांगी गई सभी प्रासंगिक जानकारी होगी ताकि वह जोखिम की अंडरराइटिंग के संदर्भ में सूचित निर्णय ले सके) कृपया पॉलिसी खरीदने से पहले सभी पूर्व-मौजूदा बीमारियों/विकलांगताओं या स्थितियों का खुलासा करें। प्रकटीकरण न करने से दावा निपटान प्रभावित हो सकता है।	खंड 4

कानूनी अस्वीकरण नोट: जानकारी को उत्पाद विवरणिका और पॉलिसी दस्तावेज़ के साथ अवश्य पढ़ा जाना चाहिए। सीआईएस और पॉलिसी दस्तावेज़ के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में, पॉलिसी दस्तावेज़ में उल्लिखित नियम और शर्तें लागू होंगी (<https://www.magmahdi.com/downloads>)।

पॉलिसी धारक द्वारा घोषणा

मैंने विवरण पढ़ लिया है और नोट कर लिया है।

स्थान: _____

दिनांक: _____

(पॉलिसी धारक के हस्ताक्षर)

नोट: किसी भी विवाद की स्थिति में, पॉलिसी दस्तावेज़ में उल्लिखित नियम और शर्तें लागू होंगी।